निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्याः सेवायें–3/ 380 /2017–18 दिनांक 19 सितम्बर 2017

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 90/ XXX(2)/ 2016–30(51)2015 दिनांक 26 जुलाई 2016 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 355/XXX(2)/15–30(51)2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा लागू स्टाफिंग पैटर्न को संशोधित किये जाने के फलस्वरूप महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा के पत्रांकः प्रा0शि0/सेवायें–3/6118/2017–18 दिनांक 21 अगस्त 2017 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2– उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 759/ XXIV–2/17–06(01)/2008 दिनांक 15 सितम्बर 2017 द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– उक्त के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा विभाग में निम्नानुसार नवीन स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत सृजित पदों का वेतनक्रमानुसार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	नवीन स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों की संख्या	प्रतिशत
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500	299	06
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	399	08
3	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400	399	08
4	प्रधान सहायक	35400–112400	897	18
5	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	1395	28
6	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	1595	32
योग			**4984**	

4– उक्त मात्राकृत पदों का कार्यालयी आवश्यकतानुसार महानिदेशालय स्तर से रा0उ0प्रा0वि0 तक सृजित पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

5– नवीन मात्राकरण के फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक के समस्त कार्मिक यथा कार्यालयी आवश्यकतानुसार पटल सहायक के कार्य–दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जब तक नवीन मात्राकृत पदों के अनुसार वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों का उनके मौलिक पदों पर समायोजन नहीं होता है तब तक सम्बन्धित कार्मिक पद के प्रति तैनात समझे जायेंगे।

संलग्नः– परिशिष्ट 'क'।

19.9.2017

(आशीष कुमार)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0: सेवायें–3/ 16202–16 /2017–18 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी साइबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
7. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक, प्रा0शि0/मा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा।
11. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
12. समस्त प्राचार्य, डायट द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
13. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
14. समस्त प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 (बालक/बालिका) प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 (बालक/बालिका), प्रधानाध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
15. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप एवं परिशिष्ट 'क' को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
16. कार्यालय गार्ड फाईल।

संलग्नः– परिशिष्ट 'क'।

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड